केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षकों की विभागीय परीक्षा

<u>प्रश्न पत्र–प्रथम . केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (पुस्तक रहित)</u>

दिनांकः 16.06.2015 — **पूर्णांक : 100**

समयः 10.00 पू० से 01.00 अ० — **उत्तीर्णांक : 50**

टिप्पणी : सभी प्रश्नों के अंक समान है। **प्रश्न सं0–1 एवं 2 अनिवार्य है**, शेष पांच प्रश्नों में से **किन्हीं तीन** प्रश्नों के उत्तर दें। सभी उत्तरों के साथ सुसंगत प्राधिकार उल्लेख अवश्य करें।

प्रश्न–1 बहु विकल्पीय प्रश्न (एम सी क्यू)

(1) आयुक्त (अपील) ने माल की क्षति के मामले से संबंधित अपील में एक आदेश पारित किया है, परंतु निर्धारिती उससे संतुष्ट नही है। वह. ....के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है :
(क) बन्दोबस्त आयुक्त
(ख) मुख्य आयुक्त
(ग) सेस्टैट (सीईएसटीएटी)
(घ) पुनरीक्षण प्राधिकारी

(2) आयुक्त द्वारा पारित मूल आदेश के विरूद्व.............................. के समक्ष अपली प्रस्तुत की जा सकती है :
(क) आयुक्त (अपील)
(ख) मुख्य आयुक्त
(ग) प्रधान महा आयुक्त
(घ) सेस्टैट (सीईएसटीएटी)

(3) एक संयुक्त आयुक्त द्वारा पारित मूल आदेश के विरूद्व.............................. के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा सकती है :
(क) अपर आयुक्त
(ख) आयुक्त
(ग) आयुक्त (अपील)
(घ) सेस्टैट (सीईएसटीएटी)

(4) उत्पाद शुल्क योग्य माल के देशी उपभोग से अभिप्रेत है :
(क) विनिर्माता के कारखाने में उत्पाद शुल्क योग्य माल का उपभोग।
(ख) एक ही विनिर्माता की दूसरी इकाई से लाए गये उत्पाद शुल्क योग्य माल का उपभोग।
(ग) निकासी के बाद भारत के अन्दर उत्पाद शुल्क योग्य माल का उपभोग।
(घ) उपर्युक्त मे से कोई नही।

(5) कौन सा क्रियाकलाप माल को उत्पाद शुल्क योग्य बना देगा :
(क) विनिर्माण
(ख) कारखाने से निकासी
(ग) विनिर्माण के बाद भंडारण
(घ) भंडारण के स्थान से निकासी

(6) 28 फरवरी को वार्षिक बजट (वित्त विधेयक) संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। उत्पाद शुल्क के टैरिफ दर में वृद्वि का कोई प्रस्ताव दिनांक .... से प्रभावी होगा :
(क) वित्तीय विधेयक के अधिनियमन के दिनांक से
(ख) अप्रैल के प्रथम दिनांक से
(ग) 28 फरवरी/1 मार्च की आधी रात से
(घ) उपर्युक्त मे से कोई नही

(7) रूपये 50 लाख के केन्द्रीय उत्पाद से संबंधित मांग सह कारण बताओ नोटिस.......... के द्वारा न्याय निर्णीत की जा सकती है :
(क) संयुक्त आयुक्त
(ख) अपर आयुक्त
(ग) संयुक्त और अपर आयुक्त दोनों
(घ) उपर्युक्त में से कोई नही

(8) ईआर–1 विवरणी भरने की नियत तारीख...................... है :
(क) आगामी माह की दसवीं तारीख
(ख) आगामी माह की पांचवी तारीख
(ग) आगामी माह की 20 वीं तारीख
(घ) आगामी माह की पहली से 10 वीं तारीख

(9) सिगरेट को छोड़कर किसी भी उत्पाद शुल्क योग्य माल पर देय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क........................... के द्वारा निर्धारित की जाएगी।
(क) निरीक्षक
(ख) अधीक्षक
(ग) सहायक आयुक्त
(घ) निर्धारिती

(10) .... के मामले में अवधारण के लिये आयोग्यता होने पर अनंतिम निर्धारण का आदेश दिया जा सकता हैः–
(क) उत्पाद शुल्क योग्य माल का मूल्य
(ख) उत्पाद शुल्क योग्य माल के शुल्क की दर
(ग) उत्पाद शुल्क योग्य माल का मूल्य या दर
(घ) विभाग के निर्देश पर

(11) निर्यात के लिये उत्पाद शुल्क योग्य माल की निकासी करने के लिये आवेदन पत्र प्रारूप................................ पर प्रस्तुत किया जाता है :
(क) यूटी–1
(ख) एआरई–1
(ग) सीटी–1
(घ) उपर्युक्त में से कोई नही

नासिन, आर.टी.आई. कानपुर

(12) निर्धारिती द्वारा वार्षिक वित्तीय सूचना विवरण.............................. प्ररूप प्रस्तुत किया जाता है :

(क) ईआर–4 (ग) ईआर–6

(ख) ईआर–5 (घ) ईआर–7

(13) विलम्बित शुल्क वापसी पर ब्याज.............................. के अधीन उपबन्धित किया गया है :

(क) के.उ.श. अधि., 1944 की धारा 11 एए (ग) के.उ.श. अधि., 1944 की धारा 11 डीडी

(ख) के.उ.श. अधि., 1944 की धारा11 बीबी (घ) के.उ.श. नि., 2002 की धारा 12 एए

(14) .... के अन्तर्गत सरकार को देय रकम की वसूली कारण बताओ नोटिस के बिना की जा सकती है :

(क) के.उ.श. अधि, 1944 की धारा 11 (ग) के.उ.श. अधि, 1944 की धारा 11 बी

(ख) के.उ.श. अधि, 1944 की धारा 11ए (घ) कारण बताओ नोटिस के बिना वसूली नही की जा सकती है

(15) निर्णयों, आदेशों, समन आदि तामील करने की प्रकिया.......................... के अन्तर्गत उपबंधित है:–

(क) के.उ.श. अधि, 1944 की धारा 37 ए (ग) के.उ.श. अधि, 1944 की धारा 37 सी

(ख) के.उ.श. अधि, 1944 की धारा 37 बी (घ) के.उ.श. अधि, 1944 की धारा 37 डी

(16) यदि माल "संबद्व व्यक्ति" को उसके अपने उपभोग के लिये विक्रीत कर दिया जाता है, तो उक्त माल का निर्धारणीय मूल्य क्या होगा :

(क) माल की उत्पादन लागत का 100 प्रतिशत (ग) बीजक में दर्शित संव्यवहार मूल्य

(ख) माल की उत्पादन लागत का 110 प्रतिशत (घ) कोई भी उत्पाद शुल्क देय नही है।

(17) कौन से माल/सेवाएं जीएसटी के कार्यक्षेत्र से बाहर रखने के लिये प्रस्तावित है:–

(क) सीमेंट (ग) तम्बाकू उत्पाद

(ख) एस.ई.जेड. में निर्मित माल (घ) ईओयू द्वारा उत्पादित माल

(18) अभिवहन में उत्पाद शुल्क योग्य माल को अभिग्रहण करने की शक्ति............ के अन्तर्गत उपलब्ध है :

(क) के.उ.श. नि., 2002 का नियम 24 (ग) के.उ.श. अधि, 1944 की धारा 11 ए

(ख) के.उ.श. नि., 2002 का नियम 25 (घ) के.उ.श. अधि, 1944 की धारा 11 एसी

(19) आयुक्त (अपील) द्वारा पारित आदेश.............................. द्वारा पुनरावलोकित किया जाता है:–

(क) प्रधान आयुक्त/आयुक्त (ग) प्रधान मुख्य आयुक्त /मुख्य आयुक्त की समिति

(ख) प्रधान आयुक्त/आयुक्त की समिति (घ) सेस्टैट (सीईएसटीएटी) की अधिकारिता वाली न्यायपीठ

(20) निकासी के मूल्य पर आधारित लघु उद्योग छूट उन इकाइयों को उपलब्ध नही है:–

(क) जिसके संयंत्र और मशीनरी का मूल्य रू0 4 करोड़ से अधिक है

(ख) जो नगरीय क्षेत्र मे अवस्थित है और अन्य ब्राण्ड के माल का विनिर्माण करता हो।

(ग) जो ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित हो और अन्य ब्राण्ड के माल का विनिर्माण करता हो

(घ) जो कच्चा माल पर सेनवैट केडिट नही लेता हो।

प्रश्न–2 निम्नलिखित की व्याख्या करें:

(क) एक निर्धारिती ने वर्ष 2014–15 में कोई पूंजीगत माल खरीदा जिसमें रूपए 12 लाख का केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अर्न्तनिहित था। उसने भूलवश वर्ष 2014–15 के दौरान सेनवैट केडिट नही लिया। क्या वह वर्ष 2015–16 में संदत्त संपूर्ण शुल्क का केडिट ले सकता है। कृपया अपने उत्तर की व्याख्या करें।

(ख) एक निर्धारिती "एक्स" कुछ कच्चे माल की निकासी कराना चाहता है, जिस पर उसने "वाई" के निर्धारणीय मूल्य पर 10 प्रतिशत एडीवी की दर से पूर्तिकार द्वारा संदत्त शुल्क का सेनवैट केडिट प्राप्त कर लिया है। कच्चे माल की निकासी के समय इस प्रकार के माल पर प्रयोज्य शुल्क 12 प्रतिशत तक हो गया है। कृपया व्याख्या करें कि क्या उससे 10 प्रतिशत की दर से सेनवैट का वापसी भुगतान कराना अपेक्षित है या 12 प्रतिशत की दर से।

(ग) वर्ष 2014–15 के दौरान सेनवैट केडिट प्राप्त करने वाला एक विनिर्माता ने दिनांक 01.04.2015 के प्रभाव से पूर्ण छूट के विकल्प के चयन का निर्णय लिया। दिनांक 31.03.2015 को उसके पास रू0 200000/– का सेनवैट केडिट शेष है। उसके पास उपलब्ध शेष कच्चे माल में रू0 100000/– का सेनवैट केडिट अन्तनिहित है। अंतिम उत्पाद में अन्तर्विष्ट इनपुट्स के अन्तर्ग्रस्त सेनवैट केडिट रू0 1,50,000/– है। कोई भी कच्चा माल उत्पादन प्रकिया में नही हैं। उसने दिनांक 01.04.2015 को रू0 2,00,000/– के पूरे केडिट शेष को प्रत्यावर्तित कर दिया। कृपया इसकी व्याख्या करें:

(1) क्या रू0 200000/– का प्रत्यावर्तन विधि के अनुरूप है? यदि नही तो उसके द्वारा क्या कार्यवाही की जानी अपेक्षित है?

(2) यदि अंतिम उत्पाद में अन्तर्ग्रस्त सेनवैट केडिट केवल रू0 50,000/– निश्चित की जाती है, तो क्या परिणाम होगा?

प्रश्न–3 निम्नलिखित मानक शब्दों में से किन्ही पांच की व्याख्या करें :–

(क) प्रतिप्रेषण (रिमाण्ड) (ख) प्रत्याक्षेप (कास आब्जेक्शन) (ग) शुल्क की विनिर्दिष्ट दर (स्पेसिफिक शुल्क दर)

(घ) टैरिफ मूल्य (ड़) डीम्ड विनिर्माण (च) देशी टैरिफ क्षेत्र (छ) अनुचित समृद्वि

प्रश्न–4 निम्नलिखित में अन्तर की व्याख्या करें :–

(क) शास्ति और दण्ड (ख) अभिग्रहण एवं अधिग्रहण (ग) माफी और छूट (रेमीशन और छूट)
(घ) रिबेट और ड्राबैक (ड़) विनिर्माण एवं डीम्ड विनिर्माण

प्रश्न–5 निम्नलिखित में से किन्ही चार का उत्तर दें।

(क) संयंत्र और मशीनरी में 40 करोड़ तक निवेश कर चुकी एक विनिर्माण इकाई ने वर्ष 2014–15 के दौरान विनिर्माण और निकासी प्रारम्भ की। क्या वह इस वर्ष 1.5 करोड़ के शुल्क मुक्त निकासी के लिये हकदार है? कृपया इसकी व्याख्या करें।

(ख) क्या लद्यु उद्योग की छूट पर विचार करने हेतु कारखाने से उत्पाद शुल्क योग्य निकासी के मूल्य की संगणना में व्यापार कर/वैट को सम्मिलित किया जा सकता हैं। कृपया अपने उत्तर की व्याख्या करें।

(ग) एक लद्यु उद्योग इकाई "पैकिंग सामग्री" के विनिर्माण में लगी हुई है, जो एक ऐसे विनिर्माता का ब्रांड नाम से संबंधित है जो लद्यु उद्योग छूट का हकदार नही है। उक्त पैंकिग सामग्री का प्रयोग इस बड़े विनिर्माता द्वारा किया जाता है जिसकी कुल बिक्री रू0 400 करोड़ है। क्या एक वित्तीय वर्ष में उक्त लद्यु उद्योग इकाई रू0 1.5 करोड़ तक इस पैकिंग सामग्री की शुल्क मुक्त निकासी के लिये हकदार है? कृप्या अपने उत्तर की व्याख्या करें।

(घ) एक निर्धारिती "एक्स" द्वारा परिचालित एक लद्यु उद्योग इकाई ने वित्तीय वर्ष मे माह फरवरी, 2015 के दौरान विनिर्माण बन्द कर दिया। माह फरवरी, 2015 तक उसकी कुल बिक्री रू0 1.4 करोड्र थी। दूसरा विनिर्माता "वाई" ने इस इकाई को खरीद लिया और मार्च, 15 में रू0 50 लाख की शुल्क मुक्त निकासी के समतुल्य निर्माण करता है। कृपया व्याख्या करें कि क्या "वाई" 50 लाख की शुल्क मुक्त निकासी का हकदार है और "वाई" पर किसी शुल्क का दायित्व है?

(ड़) एक विनिर्माता "एक्स" के पास "ए" और "बी" दो ईकाइयॉ हैं जो एक ही प्रकार के उत्पाद शुल्क योग्य माल का विनिर्माण करती है। उसने इकाई "ए" से रू0 1.0 करोड़ की शुल्क मुक्त निकासी की और इकाई "बी" से रू0 1.5 करोड़। कृपया व्याख्या करें कि क्या "एक्स" द्वारा की गयी शुल्क मुक्त निकासी विधि के अनुरूप है? यदि नही तो कृपया दोनों छूट प्राप्त मामलों में 12 प्रतिशत की दर से शुल्क मानते हुये शुल्क के दायित्व की गणना करें।

प्रश्न–6 एक विनिर्माता निर्धारिती "एक्स" वर्ष 2014–15 के दौरान रू0 50 लाख का केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अर्न्तनिहित पूंजीगत माल की खरीद करता है। वर्ष 2014–15 के दौरान उसने रू0 50 लाख के सम्पूर्ण शुल्क की सेनवैट क्रेडिट ले लिया। क्या इस कार्य में 'किसी विधिक' प्रावधान का उल्लंघन हुआ है, यदि हॉ तो कृपया कानून के संबद्व उपबंधों का संदर्भ देते हुये एक कारण बताओ सूचना का प्रारूपण करें।

प्रश्न–7 निम्नलिखित में से किन्ही चार का उत्तर दें।

(क) क्या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विधि जम्मू और कश्मीर एवं सिक्किम राज्य में प्रयोज्य है?

(ख) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पंजीकरण में अंतिम तीन अंक क्या इंगित करता है?

(ग) एक निर्धारिती ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पंजीकरण के लिये आवेदन किया है। क्या वह उत्पाद शुल्क योग्य माल का विनिर्माण प्रारम्भ कर सकता है या उसे पंजीकरण की मंजूरी की प्रतीक्षा करनी चाहिए?

(घ) वह कौन सी सीमा है जो एक लद्यु उद्योग निर्धारिती को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पंजीकरण से छूट प्राप्त करने के लिये घोषणा पत्र जमा करने हेतु दायी बनाता है?

(ड़) क्या कोई ऐसी वस्तु है जिस पर माल के प्राप्तकर्ता द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क देय है? कृपया अपने उत्तर की व्याख्या करें।

*****